राजस्व अपील संख्या : 93/2024
उनवान : भूराराम बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 93/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/535

अपीलाण्ट :–

भूराराम पुत्र दीपाजी जाति सीरवी
मो.न. 9929381480 निवासी छोड़ा,
तहसील देसूरी, जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

तहसीलदार देसूरी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 63/2024 अनवान सरकार बनाम भूराराम में पारित आदेश दिनांक 14.05.2024 को निरस्त करवाने बाबत्।

–:निर्णय:–

दिनांकः 25.03.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर न्यायालय तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 63/2024 अनवान सरकार बनाम भूराराम में पारित आदेश दिनांक 14.05.2024 को अपास्त करवाने बाबत् पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा छोड़ा तहसील देसूरी में स्थित कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 143 में से रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि अपीलाण्ट के भाई पेमाराम व हीराराम पिसरान दीपाजी के नाम नामान्तरकरण संख्या 430 दिनांक 08.07.1971 के जरिये खातेदारी दर्ज हुयी थी तथा खसरा नम्बर 143 में 5 बीघा भूमि अपीलाण्ट के भाई पेमाराम पुत्र दीपाजी सीरवी के नाम पहले से ही खातेदारी दर्ज चल रही थी। इस प्रकार अपीलाण्ट के संयुक्त हिन्दु परिवार के दोनो भाईयों के नाम खसरा नम्बर 143 में कुल 17 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी दर्ज थी जिस पर अपीलाण्ट व उनके भाईयो का संयुक्त हिन्दु परिवार की हैसियत से मौके पर भौतिक रुप से कब्जा व काश्त पुश्तैनी रुप से चला आ रहा था। हाल सेटलमेंट सम्वत् 2040 में उपरोक्त पुराने खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 599/1219 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 601 रकबा 1.76 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 602 रबा 0.76 हैक्टेयर कुल रकबा 2.72 हैक्टेयर की खातेदारी दर्ज की गई। इस प्रकार नये रेकर्ड अनुसार बीघा प्रणाली में इस भूमि का रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा होता है जो पुराने रेकर्ड की खातेदारी से 1 (एक) बीघा 07(सात) बिस्वा कम रकबा हाल सेटलमेंट के दौरान दर्ज किया गया जबकि मौके पर भौतिक रुप से कब्जा अपीलाण्ट के संयुक्त हिन्दु परिवार का पुराने रेकर्ड अनुसार मौके पर भौतिक रुप से रहा हैं। अपीलाण्ट व उनके भाईयों के संयुक्त हिन्दु परिवार का आपसी पारिवारिक मौखिक बंटवाड़ा हुआ जिसमें पुराने खसरा नम्बर 143 की सम्पूर्ण रकबा भूमि 17 बीघा 15 बिस्वा अपीलाण्ट व उसके बडे भाई वेलाराम के बन्ट हक, व अधिकार में आने से इस भूमि पर कब्जा व काश्त अपीलाण्ट व उसके भाई वेलाराम का रहा है। जहां वर्षों से अपीलाण्ट व उसके परिवार वाले बहैसियत खातेदार 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर बंटवाडा मे उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट व उसके भाई वेलाराम के बंट में आने से इस भूमि के दो बख्शीशनामें दिनांक 28.06.2011 को दोनो भाईयों के पक्ष में रजिस्टर्ड करवाये गये जबकि मौके पर भौतिक रुप से इस भूमि पर

अति. जिला कलक्टर
P.T.O.

राजस्व अपील संख्या : 93/2024

उनवान : भूराराम बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

कब्जा अपीलाण्ट का पहले से ही चला आ रहा था। इस प्रकार मौके पर हाल सेटलमेंट के पहले अपीलाण्ट व उसके संयुक्त हिन्दु परिवार का कब्जा काश्त व उनके खातेदारी की दर्ज रही है जिस भूमि के नये बने खसरा नम्बर 599 रकबा 0.1600 हैक्टेयर किस्म गै.मु. खाल को गलत रुप से हाल सेटलमेंट के दौरान सिवाय चक दर्ज कर दिया एवं जिस कारण अपीलाण्ट के विरुद्ध रेस्पोडेण्ट` पटवार हल्का छोड़ा की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 राज भू0 राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए नोटीस जारी किया एवं अपीलाण्ट के विरुद्ध तारीख 14.05.2024 को निर्णय पारित कर दिया।

अतः अपीलाण्ट की तरफ से अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय/आदेश दिनांक 14.05.2024 को निरस्त किया जावे एवं रेस्पोडेण्ट को निर्देश दिया जावे कि माफिक पुराने रेकर्ड ने राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम कम दर्ज की गयी भूमि को वापस खातेदारी में दर्ज किये जाने की अभिशंषा की जावें।

प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 38 वर्ष 2024 की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की।

अपीलाण्ट की ओर से काबिल अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट का वादग्रस्त भूमि पर पक्का मकान एवं पक्की दिवार बनी हुई होने के उपरान्त भी तहसीलदार देसूरी ने अपीलाण्ट को वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है

हमने अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का एवं काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 38 वर्ष 2024 की प्रस्तुत प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। चूंकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा दिनांक 29.08.2024 के द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौका स्थिति बनाये रखे जाने की अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की हुई है।

साथ ही जैर अपील भूमि के संबंध में सेटलमेण्ट कार्यवाही के दौरान हुई तथाकथित त्रुटि के आधार पर प्रार्थी द्वारा घोषणात्मक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी में प्रस्तुत कर रखा है जो जैर ट्रायल है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के जैर अपील आदेश दिनांक 14.05.2024 को अपास्त नहीं किया जाता है, तो न केवल न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना होगी अपितु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी में प्रार्थी की ओर से पेश घोषणात्मक दावे के निर्णयन/निस्तारण भी पूर्वाग्रह की सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है, ऐसा न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बज़तरफ आदेश न्यायालय तहसीलदार देसूरी दिनांक 14.05.2024 प्रकरण संख्या 63/2024 अपास्त किया जाता है एवं रेस्पोडेण्ट तहसीलदार देसूरी को निर्देश दिए जाते है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी में अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत दावे एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में राजकीय हितों की सुरक्षार्थ प्रभावी पैरवी करें।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला-पाली